|| कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ||

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 5951 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, मई 20 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः– नारायणबगड़ किमोली मोटर मार्ग के किमी0 08 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.346 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय की पत्र सं0 2926/12–1 दिनांक 15.12.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पायी गयी कमियो के निराकरण हेतु प्रस्ताव वापस किया गया, आपके द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, परन्तु उक्त प्रस्ताव में कमियो का अधूरा निराकरण किये ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का अवलोकन किये बिना ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है जिसे वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रस्ताव में निम्न कमियो का निराकरण करने के उपरान्त अपने स्तर से भंली भांति परीक्षण करने पर ही प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

1– के0एम0एल0 फाईल में वैकल्पिक समरेखण एवं लाभांन्वित गांव को दर्शाया जाना था, परन्तु आप द्वारा बिना लाभान्वित गांव को दर्शाये बिना ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

2– उपरोक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00किमी0 हेतु सडक निर्माण से उत्सर्जित मलवे के लिए कुल 04 मक डम्पिंग स्थल चयनित किये गये है, चयनित मक डम्पिंग स्थल किमी0 01–02, किमी0 2–3, किमी0 3–04 में चयनित किया गया है। जबकि प्रत्येक किमी0 में 01 मक डम्पिंग स्थल चयनित किया जाना चाहिए। ऑनलाईन मोटर मार्ग के समरेखण के के0एम0एल0 फाईल में कुल 03 मक डम्पिंग यार्ड चयनित/दर्शाये गये है। स्थिति स्पष्ट करे, तथा किमी0 5 व किमी0 6 में नाप भूमि में मक डम्पिंग स्थल का चयन करे।

3– उपरोक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण हेतु चयनित वन भूमि सीमांकन पिल्लरो से करते हुए इस कार्यालय को सूचित करे।

4– प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में सिविल सोयम भूमि व वन पंचायत भूमि का विवरण अलग–अलग अंकित करे, तथा लैण्डशैड्यूल में वन पंचायत का नाम व खसरा नं0 के साथ राजस्व अभिलेख भी संलग्न करे।

5– क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं सी0ए0 डिजिटल मैप में वन क्षेत्राधिकारी पूर्वी पिण्डर रेंज के हस्ताक्षर भी करे।

संलग्न :– प्रस्ताव की प्रति।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

निर्वहनार्थ प्रतिहस्ताक्षरित
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गो0श्वर
(चमोली)

Scanned with CamScanner